1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 07/24 दायरा दिनांक 02.08.2024

1. शिवचरण पुत्र श्रीलाल जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. सांवलिया पुत्र श्रीलाल जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. बाबूलाल पुत्र श्रीलाल जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. भूरीबाई पुत्री श्रीलाल जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. धनमंती पुत्री श्रीलाल पत्नि मुरारी जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. भाटो बाई पुत्री कल्लू जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
7. धापी बाई पुत्री कल्लू जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. ग्राम पंचायत राजपुर जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– रेस्पोन्डेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत राजपुर दिनांक 05.03.2021 नामान्तरकरण संख्या 230 ग्राम प्रोत पहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

<u>निर्णय दिनांक 04.09.2024</u>

उपस्थित– अपीलाण्टस की ओर से – श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम प्रोतपहाडी तहसील शाहावाद के खाता संख्या 65 की आराजी ख.नं. 34 रकबा 19.14 बीघा स्थित है, जिसमें अपीलान्ट कम 1 ता 5 का हिस्सा 1/2 तथा रेस्पो. कम 6 व 7 का हिस्सा 1/2 स्थित है। अपीलान्ट कम 1 ता 5 के पिता श्रीलाल पुत्र भैरूलाल किराड निवासी किराडपहाडी के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज रहा है के फोत होने पर प्रश्नगत नामा. से दर्ज विरासत में अपीलान्ट कम 5 का नाम धनमंती के स्थान पर सन्तीबाई गलत दर्ज कर दिया है। अपीलान्ट [illegible] धनमंती है इस बावत आधारकार्ड राशनकार्ड भामाशाहकार्ड, जनआधार [illegible] मतदाता परिचयपत्र एवं बैंक खाता पासबुक की प्रतियां पेश है। अतः अपील [illegible]कार की जाकर ग्राम प्रोतपहाडी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:46:16 IST
Reason: SelfAttested

04.09.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

नाम. संख्या 230 पर पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट कम 5 का सही नाम धनमंती से नामान्तरकरण दर्ज के आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को तलब किया गया। रेस्पो. बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई की गई। अपीलान्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अपीलान्ट कत 5 का नाम धनमंती दर्ज है, इस प्रकार अपीलाण्ट प्रथम दृष्टया अपने कथन को साबित करने में सफल रहे हैं, परन्तु वास्तव में खातेदार श्रीलाल के वारिसान कौन हैं, ये जांच का विषय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 230 ग्राम प्रोतपहाडी तहसील शाहावाद दिनांक 05.03.2021 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट कम 5 के नाम बावत तथा मृत खातेदार श्रीलाल पुत्र भैरूलाल जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरण दर्ज करें। नामान्तरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

04.09.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:46:16 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner